

71

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र. के समक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक/2013

प्रस्तुति दिनांक 29-11-2013

R-4463-II-13

श्री विनायक सुभाष
राजस्व मण्डल
ग्वालियर म.प्र.
29/11/13

1. कमलाबाई बेवा बंशीलाल ठाकुर
 2. भगवान पिता बंशीलाल ठाकुर
 3. पन्नालाल पिता बंशीलाल ठाकुर
- सभी निवासी :- दौलतपुरा, बुरहानपुर

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. काशीनाथ पिता बंशीलाल ठाकुर
 2. विश्वनाथ पिता बंशीलाल ठाकुर
- निवासी :- ग्राम जैनाबाद, घोसीबाडा
बुरहानपुर

... प्रत्यर्थी

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय
बुरहानपुर में विचाराधीन प्रकरण क्र.
188-ए/06/08-09 (काशीनाथ विरुद्ध
कमलाबाई) में पारित अंतरवर्ती आदेश
दिनांक 17-10-2013 से असंतुष्ट एवं
दुःखी होकर सादर निगरानी अतिरिक्त मुद्दे
एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत की जा रही
है ।

॥ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ॥



1. याचिकाकर्तागणों द्वारा ग्राम जैनाबाद एवं ग्राम घोसीबाडा में निवासी
संयुक्त स्व मित्त की छतरी की बंधने बंधन अतिरिक्त प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4463-दो/13

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक पक्ष की ओर से श्री अरुण मानकर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।</p> <p> २१३२</p> <p> अध्यक्ष</p>	